

पर्यटन मंत्रालय

मांग संख्या 95

पर्यटन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1766.09	...	1766.09	2149.99	0.01	2150.00	2113.48	...	2113.48	2189.21	0.01	2189.22
<i>वसूलियां</i>	-0.39	...	-0.39
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	1765.70	...	1765.70	2149.99	0.01	2150.00	2113.48	...	2113.48	2189.21	0.01	2189.22
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	6.32	...	6.32	7.76	...	7.76	8.53	...	8.53	8.49	...	8.49
2. पर्यटन महानिदेशक	94.37	...	94.37	107.97	...	107.97	120.16	...	120.16	105.61	...	105.61
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	100.69	...	100.69	115.73	...	115.73	128.69	...	128.69	114.10	...	114.10
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पर्यटन अवसंरचना												
3. विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन)	943.78	...	943.78	1100.00	...	1100.00	1100.00	...	1100.00	1106.00	...	1106.00
4. तीर्थयात्री पुनर्जागरण और आध्यात्मिक वृद्धि ड्राइव के लिए राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद)	99.93	...	99.93	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	160.50	...	160.50
5. <i>पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता</i>												
5.01 गंतव्य एवं परिपथों के लिए उत्पादन/अवसंरचना विकास	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	-0.39	...	-0.39
<i>निवल</i>	<i>9.61</i>	...	<i>9.61</i>	<i>5.00</i>	...	<i>5.00</i>	<i>5.00</i>	...	<i>5.00</i>	<i>5.00</i>	...	<i>5.00</i>
5.02 राजस्व उत्पादन करने वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए वयवहार्यता अंतरण स्कीम (पूर्वती अधिकधिक राजस्व उत्पादन करने वाली योजनाएं)	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00
5.03 केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	86.73	...	86.73	70.00	...	70.00	71.00	...	71.00	61.00	...	61.00
5.04 बाजार अनुसन्धान	10.99	...	10.99	4.00	...	4.00	3.30	...	3.30	5.00	...	5.00
5.05 आवास अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5.06 चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम	100.47	...	100.47

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता	107.33	...	107.33	80.01	...	80.01	79.30	...	79.30	181.48	...	181.48
6. भारत पर्यटन भवन	0.01	0.01	0.01	0.01
7. बुद्धा परिपथ												
7.01 कार्यक्रम घटक	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-पर्यटन अवसंरचना	1151.04	...	1151.04	1330.02	0.01	1330.03	1329.30	...	1329.30	1447.99	0.01	1448.00
संवर्धन एवं प्रचार												
8. बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार	273.91	...	273.91	454.24	...	454.24	416.23	...	416.23	376.73	...	376.73
9. बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार	89.85	...	89.85	135.00	...	135.00	127.40	...	127.40	129.50	...	129.50
जोड़-संवर्धन एवं प्रचार	363.76	...	363.76	589.24	...	589.24	543.63	...	543.63	506.23	...	506.23
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास												
10. आई.एच.एम्./ एंफ.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम्./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता	110.38	...	110.38	85.00	...	85.00	82.00	...	82.00	82.89	...	82.89
11. सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण	39.83	...	39.83	30.00	...	30.00	29.86	...	29.86	38.00	...	38.00
जोड़-प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	150.21	...	150.21	115.00	...	115.00	111.86	...	111.86	120.89	...	120.89
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	1665.01	...	1665.01	2034.26	0.01	2034.27	1984.79	...	1984.79	2075.11	0.01	2075.12
कुल जोड़	1765.70	...	1765.70	2149.99	0.01	2150.00	2113.48	...	2113.48	2189.21	0.01	2189.22
ख. विकासत्मक शीर्ष सामान्य सेवाएं												
1. विविध सामान्य सेवाएं	0.41	...	0.41	0.74	...	0.74	0.69	...	0.69	0.70	...	0.70
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	0.01	0.01	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	0.41	...	0.41	0.74	0.01	0.75	0.69	...	0.69	0.70	0.01	0.71
आर्थिक सेवाएं												
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	6.32	...	6.32	7.76	...	7.76	8.53	...	8.53	8.49	...	8.49
4. पर्यटन	1758.97	...	1758.97	1938.06	...	1938.06	1905.83	...	1905.83	1972.13	...	1972.13
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1765.29	...	1765.29	1945.82	...	1945.82	1914.36	...	1914.36	1980.62	...	1980.62
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	203.43	...	203.43	198.43	...	198.43	207.89	...	207.89
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान
जोड़-अन्य	203.43	...	203.43	198.43	...	198.43	207.89	...	207.89
कुल जोड़	1765.70	...	1765.70	2149.99	0.01	2150.00	2113.48	...	2113.48	2189.21	0.01	2189.22

1. सचिवालय: प्रावधान पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय के खर्च के लिए है।

2. **पर्यटन महानिदेशक** पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय स्थापना तथा इसके अधीन क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों पर व्यय के लिए प्रावधान है। पर्यटक सूचना का प्रसार पर्यटन अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास होटल, ट्रेवल एजेंटों, गाइडों, आदि जैसे यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों का विनियमन उनके मुख्य कार्य हैं। इसमें बेहतर पर्यटक सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

3. **विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन):** स्वदेश दर्शन : इस योजना का उद्देश्य पर्यटक संभावना वाले थीम आधारित पर्यटक परिपथों का योजनाबद्ध तरीके से और प्राथमिकता के आधार पर विकास करना; चयनित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए देश की संस्कृति तथा विरासत का संवर्धन; परिपथ / गंतव्यों में विश्वो स्तरीय अवसंरचना के विकास द्वारा सतत रूप से पर्यटक आकर्षण में वृद्धि करना तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस योजना के तहत विकास हेतु 15 थीम आधारित परिपथों की पहचान की गई है।

4. **तीर्थयात्री पुनर्जागरण और आध्यात्मिक वृद्धि ड्राइव के लिए राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद):** • इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों के धार्मिक, आध्यात्मिक और विरासत अनुभवों को समृद्ध करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और सभी स्टेकहोल्डरों की आवश्यकताओं और सरोकारों पर फोकस करने के लिए प्रयासों में तालमेल कायम करने के द्वारा एकीकृत तरीके से अधिक पर्यटक यात्राओं, प्रतिस्पर्धा एवं सततता के सिद्धांतों पर तीर्थ तथा विरासत पर्यटक गंतव्यों की पहचान करना और उनका विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत पहचाने गए कुल 25 राज्यों में 41 गंतव्य हैं।

5.01. **गंतव्य एवं परिपथों के लिए उत्पादन/अवसंरचना विकास:** इस योजना का फोकस वर्तमान उत्पादों में सुधार तथा नए पर्यटन उत्पादों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार विकसित करना है। पर्यटक स्थलों के एकीकृत अवसंरचना विकास पर भी इसका फोकस होगा। इसका उद्देश्य गंतव्यों तथा परिपथों में पर्यटकों द्वारा आवश्यक सभी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है। इसका उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वित कार्रवाई के द्वारा संसाधनों का तालमेल तथा विशेषज्ञता तालमेल है। पर्यटक गंतव्यों तथा परिपथों की उनके द्वारा पहचान की जाती है तथा विकास के लिए लिया जाता है। इसमें इसके कार्यान्वयन के लिए मास्टर योजना तैयार करने से तक के कार्यकलाप शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत ली गई परियोजनाएं एकीकृत, प्रोजेक्ट्रेड क्षेत्र विकास संकल्पना का अनुपालन करती है। प्रत्येक परियोजना के लिए हितधारियों के साथ परामर्श के पश्चात् संघराज्य क्षेत्रों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है।

5.02. **राजस्व उत्पादन करने वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए वयवहार्यता अंतरण स्कीम (पूर्वतीं अधिकाधिक राजस्व उत्पादन करने वाली योजनाएं):** यह स्वीकार किया जाता है कि पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता है जो केवल भारत सरकार के वजटीय संसाधनों से सम्भव नहीं होगा। इन कमियों को दूर करने के लिए तथा निजी क्षेत्र, कॉरपोरेट तथा संस्थागत संसाधनों के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय प्रबंधकीय कुशलता लाने के लिए पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए वृहद राजस्व सृजन परियोजनाओं को संवर्धित करने का प्रस्ताव है।

5.03. **पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता:** पर्यटन गंतव्यों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा समाज के लिए अन्य सामाजिक आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसमुदाय सृजित कर सकता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के द्वारा सभी महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्यों पर पर्यटन अवसंरचना का समग्र विकास संभव नहीं होगा क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण गंतव्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईटीडीसी, आदि जैसे केन्द्रीय अभिकरणों के अधिकार क्षेत्र/ नियंत्रण में हैं, और उनके नियंत्रणाधीन पर्यटक रूचि के स्थलों का समग्र विकास उनके स्वयं के संसाधनों से सम्भव नहीं होगा तथा संसाधनों, विशेषज्ञता के आमेलन तथा विकास के पश्चात् तथा अनुरक्षण और प्रबंधन के अनुभव की आवश्यकता हो सकती है। इन कमियों को दूर करने तथा केन्द्रीय अभिकरणों की सक्रिय भागीदारी के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/

केन्द्रीय अभिकरणों के स्वामित्ववाले पर्यटक रूचि की क्षमतावान परिसम्पत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से ऐसे पर्यटक रूचि के स्थलों को केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा संवर्धित करने का प्रस्ताव है।

5.04. **पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता:** पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के संबंध में विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों का आयोजन करता है ताकि निर्णय लेने और नियोजन के लिए योजना तैयार की जा सके और विभिन्न योजनाओं और स्थलों के लिए मास्टर प्लान तैयार की जा सकें।

5.05. **पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता:** पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्तरीय होटल के कमरों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम योजना अवधि के दौरान शुरू की गई, जिसका उद्देश्य बजट होटल आवास के निर्माण के लिए सन्डिडी प्रदान करना था।

5.06. **चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम:** चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने के लिए और पर्यटकों को घरेलू और विदेशी दोनों के लिए अधिक समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए एक दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई है

6. **भारत पर्यटन भवन:** यह प्रावधान पर्यटन मंत्रालय के लिए भारत पर्यटन भवन नामक कार्यालय बिल्डिंग तैयार करने के लिए है।

7. **बुद्धा परिपथ:** इस परियोजना के लिए पर्यटन मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया जिसका उद्देश्य एकीकृत बौद्ध परिपथ का विकास एवं कार्यान्वयन है। अन्य बातों के साथ-साथ विकास नीति का लक्ष्य बौद्ध परिपथों के किनारे के गंतव्यों में निजी क्षेत्र में निवेश, स्थानीय रोजगार, पर्यटन और एसएमई को बढ़ाना है।

8. **बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक रूप से सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है इस योजना के अंतर्गत जोरदार प्रचार और मार्किटिंग अभियान चलाए जाते हैं। मंत्रालय इंफ्लुएंस डेवेलपिंग ब्रांड की मार्किटिंग के लिए दोहरे लाभ की नीति पर कार्य कर रहा है। स्पेन, चीन, फ्रांस आदि जैसे कुछ बाजारों में अधिक व्यापक और लक्षित पहुंच के लिए संवर्धनात्मक गतिविधियां स्थानीय भाषाओं में चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त, नए बाजारों में मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

9. **बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार:** इस योजना के अंतर्गत स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरूकता संदेशों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक उत्पादों के संवर्धन के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान चलाए गए। पर्यटक गंतव्यों के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर के संवर्धन के लिए भी अभियान चलाए गए।

10. **आई.एच.एम./ ऐफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता:** देश में पर्यटन क्षेत्र गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों की भारी कमी का सामना कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान आईएचएम/ एफसीआई/ आईआईटीटीएम/ एमसीएचएमसीटी/ एनआईडब्ल्यूएस के विस्तार तथा उन्नयन के लिए तथा नए संस्थानों जैसे कि होटल प्रबंध संस्थानों (आईएचएम) तथा भोजन कला संस्थानों एफसीआई की स्थापना के लिए भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां उक्त उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं।

11. **सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण:** इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) 18 से 28 वर्ष की आयु समूह के न्यूनतम 8वीं पास युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 'हुनर से रोजगार तक' नामक एक प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ सोसायटी तक पहुंचकर उन्हें नियोजनीय कौशल प्रदान करना भी है। विद्यमान सेवा प्रदाताओं के कौशल के परीक्षण और प्रमाणन के लिए कौशल परीक्षण और प्रमाणन का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है।